

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

क० १०३ / आर-३५४ / २०२१ / ब-१ / चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2021

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
लोक निर्माण/जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट आवंटन, व्यय की त्रैमासिक कार्य योजना के संबंध में दिशा-निर्देश।

- संदर्भ :-
1. इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 350 / आर -22 / 2021 / ब-1 / चार दिनांक 31 मार्च 2021
  2. इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 654 / आर-354 / 2021 / ब-1 / चार दिनांक 28 जुलाई 2021
  3. इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 760 / आर-354 / 2021 / ब-1 / चार दिनांक 09 सितंबर 2021

-000-

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु पूंजीगत कार्यों के लिए संदर्भित पत्र की कंडिका

(II) व्यय की त्रैमासिक कार्य योजना के अंतर्गत बिन्दु क०-4 की उपकंडिका 4.2 में विशेष व्यय सीमा परिशिष्ट-2 अनुसार निर्धारित की गई है। विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि तृतीय त्रैमास 2021 के लिए परिशिष्ट-2"बी" अनुसार पुनरीक्षित विशेष मासिक पूंजीगत व्यय सीमा निर्धारित की जाती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)

संचालक, बजट


म०प्र० शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2021

क्रमांक : १०४ / आर-३५४ / २०२१ / ब-१ / चार

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) - प्रथम/द्वितीय, ग्वालियर/भोपाल।
2. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, पर्यावास भवन, भोपाल।
3. संचालनालय, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.finance.mp.gov.in](http://www.finance.mp.gov.in) पर अपलोड करने हेतु।



अवर सचिव

म०प्र० शासन, वित्त विभाग

वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय त्रैमास के लिए पुनरीक्षित विशेष मासिक व्यय सीमा (पूँजीगत)

(राशि रुपये करोड़ में)

क्रमांक	विभाग	मांग एवं मुख्य शीर्ष	पुनरीक्षित सीमा
1	लोक निर्माण विभाग	24, 53-4059,4216,5053,5054	509
2	जल संसाधन विभाग	23-4700,4701,4702,4705,4711	456

*Handwritten signature*  
21/01/22